भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2173

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

बाराबंकी में पीएसयू द्वारा सीएसआर के तहत स्वीकृत धनराशि

2173. श्री तनुज पुनिया:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बारांबकी में सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न पीएसयू द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) उन स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनके लिए धनराशि आबंटित की गई है तथा लंबित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त लंबित आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आवंटन/स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135, प्रत्येक कंपनी को, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करने के लिए अधिदेशित करती है। अनिवार्य है।

वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बाराबंकी में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।

जारी......2/-

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बाराबंकी में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा किए गए विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

(ग): कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2020 के माध्यम से, परियोजना की प्रकृति के आधार पर अव्ययित सीएसआर राशि के उपचार के लिए अधिनियम की धारा 135 में कुछ संशोधन किए गए हैं। चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अव्ययित राशि को कंपनी के एक विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में हस्तांतरित करना अपेक्षित है और इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में इसे खर्च करना अपेक्षित है। तीन वित्तीय वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद, यदि कोई अव्ययित राशि बची है, तो उसे अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में हस्तांतरित करना अपेक्षित है। चालू परियोजना के अलावा अन्य मामलों में, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में हस्तांतरित करना अपेक्षित है।

*****

09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक बाराबंकी में पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय (राशि रु. करोड़ में)			
जिला	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
बाराबंकी	--	0.36	5.02
कुल	**--**	**0.36**	**5.02**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

अनुलग्नक- **II**

09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक बाराबंकी में गैर-पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय (राशि रु. करोड़ में)			
जिला	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
बाराबंकी	1.61	1.53	1.82
कुल	**1.61**	**1.53**	**1.82**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक बाराबंकी में पीएसयू द्वारा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)			
सेक्टर	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
शिक्षा	--	0.08	0.10
स्वास्थ्य देखभाल	--	0.28	0.48
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	--	--	4.32
व्यावसायिक कौशल	--	--	0.12
कुल	--	**0.36**	**5.02**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

अनुलग्नक- **IV**

09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक बाराबंकी में गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्‌वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)			
सेक्टर	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
कला और संस्कृति	--	--	0.02
शिक्षा	0.11	--	0.80
पर्यावरणीय स्थिरता	--	0.01	--
लैंगिक समानता	--	--	0.10
स्वास्थ्य देखभाल	--	0.06	0.76
जीविकोपार्जन संवर्धन परियोजनाएं	0.01	--	--
गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	--	--	--
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.49	1.46	--
स्वच्छता	--	--	0.04
व्यावसायिक कौशल	--	--	0.06
महिला सशक्तिकरण	--	--	0.04
कुल	**1.61**	**1.53**	**1.82**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)